बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

## आदेश

संख्या–2/एल–176/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा0 अश्विनी कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के दिनांक–01.06.2016 से 01.08.2016 तक कुल–62 (बासठ) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–236तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–313(25), दिनांक–15.05.2017 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में असाधारण अवकाश के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–176/2026– 23962 पटना, दिनांक 30/9 /2026

**प्रतिलिपि** :महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**: असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय /उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय /कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/डा0 अश्विनी कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।